

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।
सेवा में,
आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा०/94 / 2016-1/30/2016

लेखनक्र: दिनांक ०६ अक्टूबर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 अनुदान संख्या-81 द्राइबल सब प्लान (अनुसूचित जनजाति) आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य स्तर से कमश: केन्द्रांश रु० 4.90 व राज्यांश रु० 3.27 लाख इस प्रकार कुल रु० 8.17 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष साधिव, पंचायती राज अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-63/2016/2602/33-3-2016-100(19)/2015 दिनांक ०६ अक्टूबर, 2016 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या-81 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रु०- 346.64 लाख के सापेक्ष कमश: केन्द्रांश रु० 4.90 लाख व राज्यांश रु० 3.27 लाख इस प्रकार कुल रु०-8.17 लाख (रूपये आठ सं०-१७/२०१६/१०४८/३३-३-२०१५-१००(१९)/२०१५, दिनांक २२-०४-२०१६ के द्वारा रु०-१३३.१९ लाख तथा शासनादेश रु०-२३/२०१६/१४२९/३३-३-२०१६-१००(१९)/२०१५, दिनांक ०२-०६-२०१६ के द्वारा रु०-१२१.०२ रु०-५४.२३ लाख तथा शासनादेश संख्या-३७/२०१६/२१५५/३३-३-२०१६-१००(१९)/२०१५ दिनांक ०९ अगस्त, २०१६ के द्वारा रु०-३०.०३ लाख की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है। आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि एवं अवशेष धनराशि रु०-८.१७ लाख (रूपये आठ लाख सत्तरह हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

१-आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-१ के कार्यालय शाप सं०-१/२०१६/वी०-१-७४६/दस-२०१६-२३१/२०१६ दिनांक २२ मार्च, २०१६ में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई रो अकारण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

२- उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

३- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०४० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संपर्हों तथा अन्य आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

४-प्रश्नगत धनराशि टी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०टी० लाभार्थियों हेतु एस०टी०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

५-इस सम्बन्ध में समर्थ-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

6—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट सेनीटेशन मिशन (SSM) के नाम से खोले गये खाता संख्या—521302010060034, आई0एफ0एस0सी0 कोड यू०बी०आई०एन 0552135 में जमा किया जायेगा।

7—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्मत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

8—उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिये योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा—निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

9—उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 में अनुदान संख्या—81 के लेखाशीर्षक "2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना—02—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)—0201—स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के060 / रा040—के0+रा0)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायगा।

10—शासकीय व्यय में मितव्ययता निरान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए—934 / दस—2008—मि0—1 / 2007 दिनांक 02—09—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11—आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि रूपान्। निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12—उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

13—उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए रख्य उत्तरदायी होगे।

14—धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—137 पर अंकित है।

संलग्न:—उक्तानुसार।

मंबदीय,

(अनिल कुमार दमेले)

निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1 / शा0 / 94 / 1 / 2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.

3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।

5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6— बजट प्रकोष्ठ / कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

7— उप निदेशक(प0) / योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

8— एस0पी0एम0यू० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-06/10/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-94-2016-1-30-2016
 आवंटन आदेश संख्या:- 005-30-2016

अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
 लेखाधीषक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना
 02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
 01 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना)
 (धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | वर्तमान अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) | योग |
|-------|---|---|--|
| I | जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र० , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय | वर्तमान प्रगामी | 817000 34664000 817000 34664000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 817000 34664000 817000 34664000 |

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):- रुपया आठ लाख सत्रह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया तीन करोड़ छियालीस लाख चौसठ हजार


 (केशव सिंह)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
